

138  
13 ए.क.जी.के.सी.के. - रामदेव झाड़े

दिनांक	आज्ञा पत्र	
2-2-18	<p>पत्रावली प्रस्तुत जमीन के लिये 10 उपस्थित।            पत्रावली प्रस्तुत जमीन के लिये 10 उपस्थित।            पर है। आज दिनांक 23-3-18 को पैघ हो</p>	
23-3-18	<p>पत्रावली प्रस्तुत जमीन के लिये 10 उपस्थित।            पत्रावली प्रस्तुत जमीन के लिये 10 उपस्थित।            पर है। आज दिनांक 15-6-18 को पैघ हो</p>	
15-6-18	<p>पत्रावली प्रस्तुत जमीन के लिये 10 उपस्थित। आज            न्यायिक दिनांक 25-8-18 को पैघ हो            आज            पूर्व</p> <p><b>सत्यमेव जयते</b></p>	
20-8-18	<p>पत्रावली प्रस्तुत जमीन के लिये 10 उपस्थित।            पत्रावली प्रस्तुत जमीन के लिये 10 उपस्थित।            पर है। आज दिनांक 5-10-18 को पैघ हो</p>	
5-10-18	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश कर अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी जमीन के प्रति गंभीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तामील दफ्तर दफ्तर हो।</p> <p>5/10/18</p> <p>मू.प्रबन्ध जमीनकारी एवं            पदेन राजस्व अपील अधिकारी            लॉकर</p>	

Web Copy - Not Official